संख्या 15/90—93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 15/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का०आ० 525(अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 199 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का०आ० 531 (अ), जो 6 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का०आ० 559(अ), जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 1/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का०आ० 560 (अ), जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 3/90-93 (खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या 3/90) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी०-636/91]

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड-II)* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी०-637/91]

1.03 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैंने 5 से 7 सितम्बर, 1991 तक जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा की थी। मेरी यह यात्रा असल में तो एक सद्भावना यात्रा थी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चांसलर हेलमट कोल के साथ जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन करना था इस मौके से फायदा उठाकर मैंने जर्मनी के नेताओं के साथ बहुत तरह के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति रिचर्ड वोन वाईजेकर तथा चांसलर हेलमट कोल से मुलाकात की और उनके साथ मेरी यह मुलाकात एक घंटे से अधिक चली। मैं वहां के आर्थिक सहयोग मंत्री डा० स्प्रेंगर और अर्थ मन्त्री डा० थ्यूएजन मोइलमान से भी मिला तथा भारत-जर्मन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में उनसे बातचीत की।

---

* वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड-II) 23-8-1991 को सभा पटल पर रखा गया था।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अपनी इस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात जर्मनी के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्यों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से भी हुई और वहां के प्राच्य विद्याविदों से भी दोपहर के खाने पर मेरी भेंट हुई। मेरी मुलाकात जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से एक स्वागत समारोह में हुई जिसका आयोजन जर्मनी में हमारे र जदूत ने किया। मेरी ये सभी मुलाकातें अपने-अपने ढंग से महत्वपूर्ण थीं।

अपनी इन बैठकों में मैंने वहां के लोगों को इस बात के अवगत कराया कि हमने अपनी आर्थिक नीतियों में हाल ही में क्या-क्या परिवर्तन किए हैं और इस बात पर बल दिया है कि सहज विकास में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका आविर्भाव हमारे विकास के मौजूदा स्तर और मौजूदा अवस्थान की तार्किकता से हुआ है। यही वजह है कि इस प्रवाह को अब विपरीत दिशा में मोड़ा नहीं जा सकता। इन परिवर्तनों को भारत की जनता और भारतीय संसद का समर्थन भी प्राप्त है।

जर्मन पक्ष ने इन परिवर्तनों के स्वरूप और महत्व को पूरी तरह समझा और सराहा तथा अपनी इन नीतियों पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होने के भारत के संकल्प को भी सराहा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और जर्मनी के बीच भावी सहयोग के स्वरूप को निश्चित करने के लिए ये परिवर्तन निर्णायक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इस काबिल भी कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से इन्हें पूरा-पूरा समर्थन मिले। जर्मनी के चांसलर ने मुझे बताया कि एकीकरण की उनकी प्रक्रिया तथा यूरोप की घटनाओं के संदर्भ में खास तौर पर सोवियत संघ की घटनाओं के सन्दर्भ में जर्मनी पर जो नए-नए बोझ आ गए हैं उनके बावजूद जर्मनी भारत के विकास में सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन जर्मन लोगों के सांस्कृतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपने उद्घाटन भाषण में चांसलर कोल ने इसके बारे में कहा कि "जर्मनी की धरती पर किसी मित्र देश का यह अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है।" यह महोत्सव पूर्णतः सफल होगा तथा जर्मनी के लोगों के दिल और दिमाग पर इसकी एक अमिट छाप अंकित होगी।

मैंने इस महोत्सव को श्री राजीव गांधी की स्मृति में समर्पित किया जिन्होंने इस महोत्सव के विचार को अब से तीन वर्ष पहले चांसलर कोल के साथ अपनी मुलाकात में रखा था। श्री राजीव जी ने भारत-जर्मन सहयोग को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी तरह का जर्मन महोत्सव वर्ष 1993-94 में भारत में मनाया जाएगा।

माननीय सदस्य यह जानते है कि भारतीय संस्कृति के प्रति जर्मनी के लोगों में कितना आकर्षण, कितना उत्साह और कितनी ललक है और माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि भारत-जर्मन संबंधों को स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक काल में हमारे दोनों देशों के बीच राजनैतिक और आर्थिक कार्यकलापों के विकास से पहले संस्कृति ही सम्बन्धों का आधार थी। जर्मनी के प्राच्य विद्याविदों के साथ मेरी मुलाकात से निस्संदेह यह सिद्ध हुआ कि जर्मन के विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परम्परा में अब भी पहले जैसे ही दिलचस्पी है तथा भारत के समसामयिक परिदृश्य में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि केवल जर्मन के ही नहीं बल्कि समस्त संसार के

प्राच्य विद्याविदों में भारत के विषय में ज्ञानार्जन की जो ललक है उसे प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करें। सांस्कृतिक सम्पर्क और पारस्परिक आदान-प्रदान ही ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनसे एक देश दूसरे देश को और एक समाज दूसरे समाज को अच्छी तरह समझ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि अब हम दिल्ली में अथवा भारत में किसी अन्य उपयुक्त जगह पर प्राच्य विद्याविदों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं। मैं राज्यों के मुख्यमन्त्रियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसमें अपना सहयोग दें। मुझे इस बात का विश्वास है कि इस आयोजन को भारत के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक वर्ग से भी पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद किसी विदेश की मेरी यह पहली यात्रा बहुत अच्छी और सफल रही और मैं जिन उद्देश्यों को लेकर गया था, उन्हें प्राप्त करने में मुझे सफलता मिली। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत-जर्मन सहयोग को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि इस अवसर पर मुझे चांसलर कोल से एक बार फिर मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे यह चाहते हैं कि भारत उदीयमान नए यूरोप के और निकट आए और उनकी यह इच्छा हमारे लिए विशेष महत्व की है।

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय आज हमने गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त करने के बाद कार्य करने का निर्णय लिया है। मैं नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को लेने के बाद सभा को स्थगित कर रहा हूं ताकि हम मध्यान्ह भोजन कर सकें।

अब मैं श्री पलाई० के० एम० मैथ्यू को नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने के लिए पुकारता हूं।

1 06 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) छोटे इलाइची उत्पादकों को दिए गए ऋणों को माफ करने तथा उनको अन्य करों में भी छूट देने की आवश्यकता

श्री पाला, के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : छोटे इलाइची उत्पादकों को भारी कठिनाई हो रही है, मसाला बोर्ड इलाइची पुनर्रोपण ऋण योजनाओं के अन्तर्गत किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर कदम उठा रहा है।

पिछले वर्ष आए चक्रवात और कम वर्षा के कारण छोटे किसान ऋण वापस लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार को इन इलाइची ऋणों के लिए भी ऋण माफी सुविधा का विस्तार करना चाहिए। कृषि आयकर का विस्तार 4 हैक्टेयर तक किया जाना चाहिए। इलाइची उत्पादकों से पंचायत व्यावसायिक कर नहीं लिया जाना चाहिए। कुठागपट्टम भूमि के कब्जाधारियों को पट्टे जारी करने चाहिए। इलायची के किसानों को बर्बाद करने हेतु बिक्री कर अधिनियम आदि के अन्तर्गत कर न चुका पाने वाले की भूमि की नीलामी बिक्री को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।